राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन,"ए" ब्लॉक,जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई)(स्थाईकरण)/अलेसे-III / 185 **दिनांक :-** 02.06.2016

आदेश संख्या : 26/2016-17

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कार्मिक / कार्मिकों जिन्हें लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2008 में सफल घोषित होने पर 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी गयी थी, को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम,1963 के नियम 34 के अंतर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 7 में अंकित तिथि से स्थाई किया जाता है :-

क्र. स.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच न.	जन्मतिथि	कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	स्थाईकरण तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	महावीर प्रसाद बैरवा - [9194]	38 / 2008	01/07/1987	23/05/2012	22/05/2014	23/05/2014

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पे-बैंड **9300-34800** एवं ग्रेड पे **3600** में वेतन तथा नियमानुसार भत्ते देय होंगें ।

कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों (जो परिवीक्षा काल में पूर्व पद का वेतन प्राप्त कर रहे हैं) का परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 के अंतर्गत वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना F 1 (2) FD/RULES/2006 दिनांक 13/03/2006 के बिंदु संख्या 03(IV) के निर्देशानुसार किया जायेगा ।

उक्त आदेश लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2008 में लंबित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों के अध्यधीन होगे ।

उक्त आदेश कार्मिक द्वारा राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर की गयी पूर्व सेवा के क्रम में लम्बित राज. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 की जांच के अंतिम परिणाम के अध्यधीन होगे ।

(पंकज प्रटनी)
निदेशक

दिनांक :- 02.06.2016

क्रमांक:- प.4(ई)(स्थाईकरण)/अलेसे-III / 185

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक ।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. रक्षित/निजी पत्रावली / वरिष्ठता सीट ।

(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक III)